



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15102026-277186
CG-MH-E-15102026-277186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]
No.620]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 अक्टूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/326.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(1), धारा 11(2)(खक), धारा 11(2)(ग), धारा 12(1) और धारा 12(1ख) के साथ पठित धारा 30(1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, शब्द तथा चिह्न “विनिधान (निवेश)”, शब्द तथा चिह्न “निवेश (विनिधान)”, शब्द तथा चिह्न “विनिधानों (निवेशों)” और शब्द “विनिधान”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों (जिसमें इन विनियमों का शीर्षक भी शामिल है), उनके स्थान पर शब्द

“निवेश” आ जाएगा; और शब्द तथा चिह्न “विनिधानकर्ता (निवेशक)”, शब्द “विनिधानकर्ताओं” और शब्द तथा चिह्न “विनिधानकर्ताओं (निवेशकों)”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द “निवेशक”, “निवेशकों” और “निवेशकों” आ जाएँगे, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक निवेश निधियाँ) विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2(1)(कख) में,

- i. शब्दों “अक्रेडिटेशन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो” के बाद दिया हुआ शब्द तथा चिह्न “जो,” हट जाएगा;
- ii. शब्दों “प्रदान किया गया हो” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “दिया गया हो या फिर जिसे सेबी से रजिस्टर या सेबी के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आने वाली किसी निर्धारित एंटीटी द्वारा अक्रेडिटिड निवेशक के तौर पर मान्यता (अक्रेडिटेशन) दी गई हो, और जो पात्रता की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उसी तरह दी गई हो (दिया गया हो), जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए,-” आ जाएँगे;
- iii. उप-खंड (i) में, मद (ग) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “; या” आ जाएँगे;
- iv. उप-खंड (i) में, मद (ग) के बाद, एक नई मद (घ) जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-
 “(घ) तरफ से शेयर बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) में कम से कम पाँच करोड़ रुपये का एक्सपोज़र (जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए) लिया गया हो।”
- v. उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(ii) यदि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008) के प्रावधानों के तहत बनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, तो उसकी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो या उसकी तरफ से शेयर बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) में कम से कम बीस करोड़ रुपये का एक्सपोज़र (जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए) लिया गया हो या फिर हर भागीदार (पार्टनर) इन विनियमों के तहत अक्रेडिटेशन हेतु दिए हुए पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता हो;”
- vi. मौजूदा उप-खंड (iii) और (iv) अब क्रमशः उप-खंड (iv) और (v) बन जाएँगे;
- vii. उप-खंड (ii) के बाद, एक नया उप-खंड (iii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “(iii) यदि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर कोई बॉडी कारपोरेट (निगमित निकाय) हो, तो उसकी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो या उसकी तरफ से सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में कम से कम बीस करोड़ रुपये का एक्सपोज़र (जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए) लिया गया हो;”
- viii. इस प्रकार बने उप-खंड (iv) में, शब्दों “कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो” के बाद, शब्द तथा चिह्न “या उसकी तरफ से सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में कम से कम बीस करोड़ रुपये का एक्सपोज़र (जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए) लिया गया हो” जोड़े जाएँगे;

- ix. इस प्रकार बने उप-खंड (v) में, शब्दों “अक्रेडिटेशन संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो” के स्थान पर शब्द “इन विनियमों के तहत अक्रेडिटेशन हेतु दिए हुए पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता हो” आ जाएँगे;
- x. परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रवर्ग-I (श्रेणी-I) के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, राष्ट्रिक धन निधियों (सॉवरिन वेल्थ फंड्स) और” हट जाएँगे;
- xi. परंतुक में, शब्दों “बहुराष्ट्रीय एजेंसियों” के बाद चिह्न, शब्द तथा अंक “, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999) में यथा परिभाषित भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया)” जोड़े जाएँगे;
- xii. परंतुक में, शब्द “और जिनके लिए अक्रेडिटेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा” हट जाएँगे।

II. विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“25. (1) यदि किसी ए.आई.एफ. (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड / आनुकल्पिक निवेश निधि) या प्रबंधकों द्वारा शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों और ए.आई.एफ. या प्रबंधक (मैनेजर) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि कराना शामिल है) के समक्ष रखे जाएँगे।

(2) यदि उप-विनियम (1) के अनुसार निवेशकों और ए.आई.एफ. या प्रबंधक (मैनेजर) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे में प्रबंधक या प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्च भी शामिल हैं) की भरपाई ए.आई.एफ. की संपत्ति में से नहीं की जाएगी।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./389/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 (अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262) 21 मई, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 (सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/313) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th October, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS)
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/326.— In exercise of the powers conferred by Section 30(1) read with Section 11(1), Section 11(2)(ba), Section 11(2)(c), Section 12(1) and Section 12(1B) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

- I. In regulation 2(1)(ab),

- i. the word and symbol “who,” appearing after the words “certificate of accreditation by an accreditation agency” shall be omitted;
- ii. after the words “certificate of accreditation by an accreditation agency”, the words and symbols “or who is accredited by a specified SEBI registered/regulated entity as an accredited investor, as per the following eligibility conditions, in a manner as may be specified by the Board from time to time, -” shall be inserted;
- iii. in sub-clause (i), in item (C), the symbol “.” shall be substituted with the word and symbol “; or”;
- iv. in sub-clause (i), after item (C), a new item (D) shall be inserted, namely, -
“(D) securities market exposure of at least five crore rupees, as specified by the Board.”;
- v. sub-clause (ii) shall be substituted with the following, namely, -
“(ii) in case of a limited liability partnership set up under the Limited Liability Partnership Act, 2008, has net worth of at least fifty crore rupees or securities market exposure of at least twenty crore rupees, as specified by the Board, or each partner independently meets the eligibility criteria for accreditation under these regulations;”;
- vi. the existing sub-clauses (iii) and (iv) shall be renumbered as (iv) and (v) respectively;
- vii. after sub-clause (ii), a new sub-clause (iii) shall be inserted, namely, -
“(iii) in case of a body corporate other than a limited liability partnership, has net worth of at least fifty crore rupees or securities market exposure of at least twenty crore rupees, as specified by the Board;”
- viii. in sub-clause (iv) so renumbered, after the words “net worth of at least fifty crore rupees”, the words “or securities market exposure of at least twenty crore rupees, as specified by the Board” shall be inserted;
- ix. in sub-clause (v) so renumbered, after the words “eligibility criteria for accreditation”, the words “under these regulations” shall be inserted;
- x. in the proviso, the words and symbol “Category I foreign portfolio investors, sovereign wealth funds and” shall be omitted;
- xi. in the proviso, after the words “multilateral agencies” the words, symbols and numbers “, Persons Resident Outside India as defined under Foreign Exchange Management Act, 1999” shall be inserted;
- xii. in the proviso, the words “and may not be required to obtain a certificate of accreditation” shall be omitted.

II. regulation 25 shall be substituted with the following, namely, -

“25. (1) All claims, differences or disputes between investors and the Alternative Investment Fund or the Manager arising out of or in relation to the activities of the Alternative Investment Fund or the Manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

(2) Where claims, differences or disputes between investors and the Alternative Investment Fund or the Manager arise under sub-regulation (1), then any loss or damage or expenses incurred by the Manager or officers of the Manager, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors, shall not be met out of property of the Alternative Investment Fund.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./389/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 was published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262 and was last amended by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2026 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/313.